28/8/24

पत्रांक 212 - वसूली बकाया प्रार्थना पत्र

RTS की गयी बकाया राशि भुगतान

पश्चात वादी द्वारा वाद पत्र विभागत

कराया गया यथावत उक्त विवादित भाग के

ख.न. 794, 803, 804, 805, वाले अराजी पर,

प्रतिवादी का कोई विक्रय लाभांश नहीं है।

तथा उसके अलावा - ख.न. 794, 803, 804, 805 का

खातेदार 1/3, रामचन्द्र 1/2, व रामेश्वर 1/2 बराबर

काश्तकार है - तथा उक्त धा. आ. वाबत वाद सं. 199/2021

धारा 88, 89, 188 BR Act के 6.9.23 को निर्णय-आधार पर किये

से प्रार्थी विपक्षी की पूर्व रूप से जानकारी होकर प्रस्तुत

जानकारी प्रतिवादी द्वारा बंटवारे का वाद दिया गया है उक्त

प्रार्थी की जानकारी से बाद विपक्षी को कोई लाभांश

नहीं है तथा प्रतिवादी पानदुसमन उक्त बकाया कोसलाभांश

भाग लाभांश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थी प्रार्थना

अस्वीकृत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

पत्रांक कोसला कुमारसिंह दायिला दर्ज है

निबंधक ... सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

जिला बलरामपुर